न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–76/2014/टोंक (2014/00008)

1. श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नि बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
2. कमला देवी पत्नि जगदीश, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आशावाला,तहसील, सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. भूरी पत्नि लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आशावाला, तहसील, सांगानेर, जिला जयपुर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मन्जू कालरा पत्नि संजीव कालरा, जाति खत्री, निवासी मकान नं0 15, रामगली नंबर 8, राजापार्क, जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक दिनांक 21.7.2014 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 82/2014 .

उपस्थितः–

1. श्री भींयाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री सुवालाल गुंजल, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक :– 21.6.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 21.7.2014 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट्स के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 का अधी0न्याया0 के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खसरा संख्या 147/11 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम श्री सुखपुरा, पटवार श्रैत्र ललवाडी, तहसील निवाई, जिला टोंक को उसने मुन्नी देवी पत्नि लादूराम ब्राहमण, निवासी ग्राम कृपारामपुरा, तह0 चाकसू, जिला जयपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उक्त भूमि का नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 के हके में भरा जा चुका है व उस पर कब्जा काश्त रेस्पो0 संख्या 1 का ही है । सुपुर्दगीनामे व नक्शा व भू–सुधार सैटलमेंट ऑफिस की शीट में रकबे का आधार 4 बीघा दर्शाया गया है, जबकि पटवारी शीट में रकबा कम बैठता है । पटवारी शीट में लाईन बीच में बंद दिखाई गई है, जबकि भू–सुधार सैटलमेंट के रिकॉर्ड में एवं सुपुर्दगीनामे के रिकॉर्ड में अंत तक खुली हुई है, जो रकबे की पैमाईश पूरी करती है परन्तु मौजूदा पटवारी शीट में रकबा 4 बीघा नही बैठता है, इसलिये मुताबिक सुपुर्दगीनामें व भू–सुधार की शीट के अनुसार पटवारी शीट में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसगंत है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 21.7.2014 को प्रकरण को निर्णित करते हुए पटवारी की मौजूदा शीट के राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिकार्ड को न तो सही ढंग से पढ़ा न समझा तथा गलत अर्थ निकालकर अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर प्रकरण को निर्णित किया है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट्स पीड़ित पक्षकार है लेकिन अधी0न्याया0 ने इस ओर कोई ध्यान न देकर अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट्स की और से अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह तंवर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था, लेकिन अधी0न्यायालय, जो कि रेस्पो0 संख्या 1 से मिले हुए थे, ने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वकालनामा को अधी0न्याया0 की पत्रावली से गायब करवा दिया एवं एकतरफा में निर्णय पारित किया । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि दिनांक 21.7.2014 को राजस्थान में सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में कार्य का बहिष्कार कर रखा था तथा इसी अवधि में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता भी दिनांक 21.7.2014 को अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुए थे, ना ही रेस्पो0 संख्या 1 की दिनांक

21.7.2014 को अधी0न्याया0 में उपस्थिति हुई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी पक्षकार की बहस सुने ही रेस्पो0 संख्या 1 को अनाधिकृत लाभ पहुंचाने के लिये अपीलांट्स को उसके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि से महरूम करने की नियत से एकतरफा में निर्णय पारित किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित भूमि खसरा संख्या 147/11 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुन्नी देवी पत्नि लादूराम ब्राहमण से क्रय करने का उल्लेख किया है तथा उक्त विक्रय पत्र में रेस्पो0 संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख किया है कि विक्रय पत्र की दिनांक को ही रेस्पो0 संख्या 1 ने मुन्नी देवी की भूमि खसरा संख्या 147/11 रकबा 4 बीघा का कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट्स की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 147/13, 147/5, 147/6 कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा है, जिसमें अपीलांट्स का 1/3 हिस्सा है । उक्त भूमि में रेस्पो0 संख्या 1 अथवा मुन्नीदेवी का किसी प्रकार का कोई हित व अधिकार निहित नही है तथा अपलांट्स का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है । अपीलांट्स का 18 बीघा भूमि से ज्यादा भूमि पर कब्जा नही है लेकिन अधी0न्याया0 ने उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के विपरीत जाकर इन तथ्यों की जांच किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो तथ्यों से परे होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 21.7.2014 अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 का पेश किये जाने पर दिनांक 6.2.2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 13.2.2014 को नियत की गई । दिनांक 13.2.2014 की आदेशिका में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश किये जाने का अंकन होकर आगामी दिनांक 20.2.2014 नियत की गई, तत्पश्चात् पत्रावली लगभग 4 पेशियों तक पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्यो में व्यस्त रहने से प्रकरण में तारीख तब्दील की जाती रही एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.7.2014 नियत की गई । दिनांक 21.7.2014 को अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनकर प्रकरण को निर्णित किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट्स के नोटिस का अवलोकन किया गया । तामील कुनिन्दा ने अपीलांट्स के नोटिस की पुस्त पर यह अंकित किया है कि आसामी घर

पर मौजूद मिली । नोटिस को लेने से मना किया । एक प्रति नोटिस की उसके खुले मकान पर चस्पा किया गया और अड़ौसी–पड़ौसी ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया । अधी0न्याया0 ने तामील कुनिन्दा की उक्त रिपोट के आधार पर अपीलांट्स की तामील मानने में विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकि आसामी द्वारा नोटिस लेने से इंकार करने पर अधी0न्याया0 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी कर तामील के प्रयास करने चाहिये थे एवं यदि फिर भी तामील नहीं हो तो अधी0न्याया0 को अखबार में नोटिस साया करवाकर अप्रार्थीगण की तामील करवानी चाहिये थी, किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त विधिक प्रक्रिया न अपनाकर मात्र तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर, जिस पर दो गवाहों की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किये जाने के हस्ताक्षर भी नहीं है, के आधार पर अपीलांट्स की तामील मानकर एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट्स की और से अधिवक्ता श्री गिरधर तंवर का वकालतनामा पेश किये जाने तथा उक्त वकालतनामा अधी0 न्याया0 की पत्रावली से गायब हो जाने का भी कथन किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा तामील की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 21.7.2014 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 76/2014 (2014/00008) बउनवानी ज्ञानी देवी बनाम मन्जू कालरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.7.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर